

सं. 14/1/2017-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 29 दिसंबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 6 जनवरी, 2017 को आयोजित होनेवाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 1^{ली} बैठक (2017 सीरीज)-एजेंडा अग्रेषित करने के संदर्भ में

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 06.जनवरी 2017 को 11.00 बजे (पूर्वाह्न), कमरा सं. 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम हेतु अनुमोदन बोर्ड की 1^{ली} बैठक (2017 सीरीज) के लिए एजेंडा मदों की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (कस्टम्स)]/ वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (इनकम टैक्स)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8. सभी डीसी

प्रतिलिपि: वाणिज्य सचिव के पीएसओ/एएस(एवीसी) के पीपीएस/निदेशक (टीवीआर) के निजी सचिव

06.01.2017 को 11.00 बजे आयोजित होनेवाली ईओयू योजना के लिए 1^{वीं} बीओए बैठक
(2017 सीरीज) के लिए एजेंडा

.....

1.1 (17) 09.11.2016 को आयोजित 5^{वीं} बीओए (2016 सीरीज) के बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि ।

1.2 (17) मैसर्स माइलान लेबोरेटरीज लिमिटेड, तेलंगाना - वीएसईजेड के तहत एक ईओयू में डीटीए इकाई के रूपांतरण के लिए प्रस्ताव ।

मैसर्स माइलान लेबोरेटरीज लि. ने 302 केएल की वार्षिक क्षमता के साथ अध्याय 29 (लेमीवुडीन, नेवियारा पाइन, एमट्रिसिटेबाइन, डिडानोसिन, डोलुटेग्रावीर, फ्लुइन्डियोन) के तहत आईटीसी एचएस-कोड के साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडियन्ट्स (एपीआई) और ड्रग इंटरमीडियेट्स के विनिर्माण और निर्यात के लिये क्र.सं. 10 एवं 42, गड्डापुथाराम, मेडक जिला तेलंगाना में अपनी डीटीए इकाई का ईओयू में परिवर्तन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

इकाई ने सूचित किया है कि उनका ईपीसीजी दायित्व 71.60 लाख रुपये है और अग्रिम प्राधिकरण देयता 103.12 करोड़ रुपये (लगभग) है।

मौजूदा इकाई के लिए निर्यात:

(करोड़ रुपये में)

साल	निर्यात
2014-15	319.71
2015-16	262.17
2016-17 सितंबर, 2016 तक	277.62

संयंत्र और मशीनरी में निवेश

(करोड़ रुपये में)

	मौजूदा	प्रस्तावित	कुल
आयातित	5.46	12	17.46
स्वदेशी	79.54	48	127.54

प्रस्तावित एनएफई है: 958.46 करोड़ रुपए।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान:

एफटीपी के पैरा 6.07 (घ) 2015-2020 में प्रावधान है कि मौजूदा डीटीए इकाइयों जिनके पास संयंत्र और मशीनरी में सालाना 50 करोड़ रु. या उससे ऊपर का निवेश है अथवा 50 करोड़ रु. और उससे अधिक का वार्षिक निर्यात है को एक ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाई में रूपांतरण के लिए आवेदन को निर्णय के लिए बीओए के समक्ष रखा जाएगा।

डीसी की सिफारिश: डीसी ने मौजूदा डीटीए इकाई को ईओयू में बदलने के लिए यूनिट के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

1.3 (17) मैसर्स डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया) प्रा लिमिटेड, अंकलेश्वर - केएएसईजेड के तहत एक ईओयू में डीटीए इकाई के रूपांतरण के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया) प्रा लिमिटेड ने अंकलेश्वर, गुजरात में ईओयू में अपनी डीटीए इकाई के रूपांतरण के लिए आवेदन जमा कर दिया है। इकाई वर्तमान में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष आपूर्ति के लिए विशेष रसायन और कृषि-रासायनिक सक्रिय अवयवों, मध्यवर्ती और कस्टम विनिर्माण में लगी हुई है। विनिर्माण की जाने वाली और निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएँ हैं एलकोनिफेन, फ्लूपिकोलाइड, ओक्साडियारजिल डेल्टामेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, एसटीएल 3 से 8।

मौजूदा इकाई के लिए निर्यात:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात
2014-15	398.15
2015-16	399.22
2016-17 (सितंबर 16 तक)	100.47

संयंत्र और मशीनरी में निवेश 82.94 करोड़ रुपये है

प्रस्तावित एनएफई है: 774.96 करोड़ रुपए।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान:

एफटीपी का पैरा 6.07 (घ), 2015-2020 प्रावधान करता है कि मौजूदा डीटीए इकाइयों से एक ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / BTP इकाई में रूपांतरण के लिए आवेदनों संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये और ऊपर का निवेश या सालाना 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक रुपये का निर्यात करने वाले का निर्यात का निर्णय के लिए बीओए से समक्ष रखा जाएगा।

डीसी की सिफारिश: डीसी ने मौजूदा डीटीए इकाई को ईओयू में बदलने के लिए यूनिट के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

1.4 (17) 5 साल की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के लिए प्रस्ताव - मैसर्स प्रयास वूल्न्स प्राइवेट लिमिटेड, केएएसजेड के तहत ईओयू।

मैसर्स प्रयास वूल्न्स प्राइवेट लिमिटेड (100% ईओयू) पूर्ण किये गए विकृत और रंगों में क्रमबद्ध, शोडी ऊन फाइबर / मिश्रण, शोडी सिंथेटिक फाइबर / मिश्रण आदि के निर्यात के लिए दिनांक 02.01.2002 की अनुमति संख्या केएफटीजेड /100% ईओयू/II/ए-112/01 का पत्र होल्ड करते हुये, अगले 5 साल की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार की मांग की है।

मैसर्स प्रयास वूलेन प्रालिमिटेड (100% ईओयू) दिनांक 02.01.2002 के अनुमति संख्या पत्र केएफटीजेड / 100% ईओयू / II / ए-112/01 रैग के निर्यात के लिए विकृत और रंगों में छिड़काव, शोडी ऊन फाइबर / मिश्रण, शर्मिली सिंथेटिक फाइबर / मिश्रण, इत्यादि। इकाई ने 21.10.2004 को उत्पादन शुरू किया और एलओपी की विस्तारित वैधता 28.02.2017 को समाप्त हो जाती है।

इकाई के एलओपी को 30.09.2012 से रद्द कर दिया गया था क्योंकि बीओए ने 14.09.2012 को आयोजित ईओयू के लिए अपनी 4^{थी} बीओए बैठक में 30.09.2012 से अधिक मैसर्स प्रयास वूलेन्स के एलओपी की वैधता के विस्तार को मंजूरी नहीं दी थी। इसलिए, वह इकाई 01.10.2012 से 31.08.2015 तक संचालित नहीं थी। 01.10.2012 तक की अवधि के लिए, इकाई एनएफई सकारात्मक थी।

सार्वजनिक सूचना संख्या 31 / 2015-20 26.08.2015 को डीजीएफटी द्वारा जारी किया गया था, एफटीपी 2015-20 की प्रक्रियाओं की हैंड बुक में संशोधन करते हुए और एक सक्षम प्रावधान जो बीओए को एलओपी के नवीकरण के ऐसे मामलों पर विचार करने की शक्ति प्रदान करता है और इस प्रकार एसईजेड के लिए मौजूदा के साथ ईओयू से संबंधित प्रावधान लाता है।

27.08.2015 को आयोजित अपनी बैठक में बीओए ने सिर्फ एक वर्ष अर्थात 31 अगस्त, 2016 तक के लिये गुजरात में स्थित मैसर्स प्रयास वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स प्रा लिमिटेड के संबंध में एलओपी का विस्तार करने का फैसला किया। इकाई को वैधता अवधि में विस्तार प्रदान किया गया इस शर्त के साथ की इकाई अपने एनएफई दायित्व को पूरा करने के अलावा, यह भी अपेक्षा की जाती है यह सुनिश्चित करे कि इसके उत्पादन का

80% (वार्षिक कारोबार के संदर्भ में) पहले वर्ष यानी 31.08.2016 तक के दौरान भौतिक रूप से निर्यात करता हो। उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम भौतिक निर्यात दायित्व का कोई भी उल्लंघन इकाई के एलओपी के दंड और रद्दीकरण को लागू कर सकता है।

अक्टूबर, 2015 से सितंबर, 2016 तक विवरण					
सं	ब्यौरा	मूल्य (लाख रुपये में)	कुल का प्रतिशत	मात्रा (1000 किलो में)	कुल का प्रतिशत
1	आयात / खरीद	194.36	-	3202.48	-
2	निर्यात	440.94	81.24	649.17	22.03
3	डीटीए	101.80	18.76	2296.61	77.97
4	कुल (2 + 3)	542.74	100.00	2945.78	100.00

वर्ष 2015-16 के दौरान इकाई द्वारा अर्जित नेट विदेशी मुद्रा (एनएफई) 89.09 लाख रु. था। इकाई ने मूल्य के संदर्भ में कुल उत्पादन का 81.24% और मात्रा के संदर्भ में 22.03% का निर्यात किया है।

आगले 5 वर्षों के लिए एलओपी के विस्तार के प्रस्ताव पर 22.06.2016 को आयोजित बैठक में बीओए द्वारा विचार किया गया था और बोर्ड ने प्रस्ताव टाल दिया था। इस बीच, पहने हुए और इस्तेमाल किए गए कपड़े के बारे में नीति तैयार की जा रही है। फा. सं. डी 12 / 20/2015-एसईजेड पर इकाई के एलओपी को 6 महीने की अवधि के लिए यानी 28.02.2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

1.5 (17) अगले 5 साल की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के लिए प्रस्ताव - मैसर्स गीतांजलि वूलेंस प्रा लिमिटेड, केएसजेड के तहत ईओयू।

मैसर्स गीतांजलि वूलेंस प्रा लिमिटेड (100% ईओयू) ने गैर-बुने हुए कंबल, वाइपर और क्लिपिंग्स, शोडी वूल ब्लेंड इत्यादि के निर्यात के लिए दिनांक 01.10.1997 के अनुमति सं. पीईआर : 276(1997)/ईओबी/97 का पत्र धारित करते हुए 5 साल की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के लिए आवेदन किया है।

इकाई ने 24.10.2000 से उत्पादन शुरू किया और 28.02.2017 को समाप्त हो रही एलओपी की वैधता में विस्तार किया है।

बीओए ने 14.09.2012 को आयोजित बैठक में यूनिट के एलओपी की वैधता को कम करने का फैसला किया और 31.03.2013 तक सीमित कर दिया। निर्णय से पीड़ित,

मैसर्स गीतांजलि वूलेंसने गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की। याचिका की अनुमति दी गयी और एलओपी को 23.10.2015 तक बढ़ा दी गई थी एक आदेश के साथ कि इकाई को अन्य नियमों और विनियमों की पूर्ति के अधीन अपनी गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

एफटीपी 2015-20 की प्रक्रियाओं की हैंड बुक में संशोधन करने, और एक सक्षम प्रावधान जो बीओए को एलओपी के नवीकरण के ऐसे मामलों पर विचार करने की शक्ति प्रदान करता है और इस प्रकार एसईजेड के लिए मौजूदा लोगों के साथ ईओयू से संबंधित प्रावधान लाता है सार्वजनिक सूचना संख्या डीजीएफटी द्वारा 26.08.2015 को 31 / 2015-20 जारी किया गया था ,

बीओए ने 27.08.2015 को आयोजित बैठक में एक वर्ष के लिए अर्थात् 31 अगस्त, 2016 तक गुजरात में स्थित मैसर्स प्रयास वूलेंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गीतांजलि वूलेंस प्रा लिमिटेड के संबंध में एलओपी का विस्तार करने का फैसला किया ।

यूनिट को इस शर्त के साथ विस्तारित वैधता दी गई थी कि इकाई, एनएफई दायित्व को पूरा करने के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि इसके उत्पादन का 80% (वार्षिक कारोबार के मामले में) पहले वर्ष के दौरान यानी 31.08.2016 तक भौतिक रूप से निर्यात किया गया हो। उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम भौतिक निर्यात दायित्व का कोई भी उल्लंघन इकाई के एलओपी के दंड और रद्दीकरण को लागू कर सकता है।

अक्टूबर, 2015 से सितंबर, 2016 तक का विवरण					
क्र. सं	ब्यौरा	मूल्य (लाख रुपये में)	कुल का प्रतिशत	मात्रा (1000 किलो में)	कुल का प्रतिशत
1	आयात / खरीद	406.27	-	860.27	-
2	निर्यात	419.82	100	321.8	100
3	डीटीए	शून्य	-	शून्य	-
4	कुल (2 + 3)	419.82	100	321.8	100

2015-16 के दौरान इकाई द्वारा अर्जित नेट विदेशी मुद्रा (एनएफई) 98.05 लाख रुपये था। 1827.21 लाख रूपए द्वारा वर्ष 2010-2015 की अवधि के दौरान इकाई एनएफई सकारात्मक थी।

22.06.2016 को आयोजित बैठक में बीओए द्वारा अगल 5 वर्षों के लिए एलओपी के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया गया और बोर्ड ने प्रस्ताव स्थगित कर दिया। इस बीच, पहने हुए और इस्तेमाल किए गए कपड़े के बारे में नीति तैयार की जा रही है। फा. सं. डी .12 / 20/2015-एसईजेड पर इकाई के एलओपी को 6 महीने यानी 28.02.2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

भाग II

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्ति के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन

I

क	जुलाई, 2016 से अगस्त, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत	एमईपीजेड
ख	जून, 2016 से दिसंबर, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत	एनएसईजेड
ग	अक्टूबर, 2016 से नवंबर, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत	वीएसईजेड
घ	नवंबर, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत- शून्य	एफएसईजेड
ड.	सितंबर, 2016 से नवंबर, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वीकृत	सीपूज

II मैसर्स प्रयसा व्लेन्स प्रा. लि. और मैसर्स गीतांजलि व्लेन्स प्रा. लि. को 01.9.2016 को एलओपी की समाप्ति की तिथि अर्थात् 01.09.2016-28.02.2017 तक 6 महीनों की अवधि के लिये, 31/8/2016 को प्राप्त वाणिज्य सचिव के अनुमोदन के साथ, एलओपी के विस्तार का अनुसमर्थन प्रदान किया गया क्योंकि 31.8.2016 को एलओपी समाप्त हो रहा था।